मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

दिनांक 26 जून, 2024

क्रमांक 1539/मप्रविनिआ/2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा181 (1) के साथ पठित धारा 43(1),धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) एवं धारा 181(2)(भ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2021) की धारा (9)(ञ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (क्रमांक आरजी–1(II), वर्ष 2021), जिसे एतद् पश्चात् ''मूल संहिता'' विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में चतुर्थ संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षकतथा प्रारंभः

1.1 यहसंहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (चतुर्थ संशोधन) {एआरजी–1(II)(iv),वर्ष 2024}''**कहलायेगी।

1.2 यहसंहिता मध्यप्रदेश के शासकीय ''राजपत्र'' में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

2. मूल संहिता के अध्याय 2 में संशोधनः

2.1 खण्ड 2.1 के उप–खण्ड(टट) के पश्चात् निम्न उप–खण्ड (टट1) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''(टट1) ''महानगरीय क्षेत्र (मेट्रोपॉलिटन एरिया)''से अभिप्रेत है संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243(त)(ग) के अधीन भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र;''

3. मूल संहिता के अध्याय 4 में संशोधनः

3.1 मूल संहिता के खण्ड 4.17 में निम्न संशोधन किया जाए, अर्थात् :

प्रथम अनुच्छेद (Paragraph)के अन्त में प्रतीक चिन्ह विराम (:) को प्रतीक चिन्ह पूर्ण विराम (.) तथा शब्दों एवं प्रतीक–चिन्हों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्, शब्द तथा प्रतीक चिन्ह ''बकाया

विद्युत शोध्य राशि कम्पनी/फर्म/व्यक्ति की आस्ति के रूप में प्रभारित रहेगी : मूल संहिता के खण्ड 4.17 के प्रथम परन्तुक से पूर्व इस पूर्ण विराम के पश्चात् अन्तर्स्थापित किया जाए।

3.2 मूल संहिता के खण्ड 4.25 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

शब्दों तथा प्रतीक चिन्हों ''महानगरीय क्षेत्र (Metropolitan Area) में तीन दिवस के भीतर,'' को मूल संहिता के खण्ड 4.25 के प्रथम वाक्य के शब्दों ''समयावधि'' के पश्चात् अन्तर्स्थापित किया जाए।

3.3 मूल संहिता के खण्ड 4.35 के द्वितीय अनुच्छेद (Paragraph)के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''परन्तु यह कि पुनर्आकलन (reassesment) के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण मुख्य परिपथ (मेन्स) के विस्तार हेतु अधोसंरचना के आवेशन (चार्जिंग) के पश्चात् कोई भी प्रभार (charges) वसूली योग्य न होंगे।''

3.4 मूल संहिता के खण्ड 4.38 के द्वितीय अनुच्छेद (Paragraph)के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''परन्तु यह कि पुनर्आकलन (reassesment) के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण मुख्य परिपथ (मेन्स) के विस्तार हेतु अधोसंरचना के आवेशन (चार्जिंग) के पश्चात् कोई भी प्रभार (charges) वसूली योग्य न होंगे।''

3.5 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (ङ) के उप–खण्ड (4) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड(4) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''(4) ''बिलिंग के प्रयोजन से समूह गृह–निर्माण समिति की उच्चतम मांग की संगणना हेतु 15 मिनट के समस्त समय–खण्डों हेतु माह के दौरान ऐसे समस्त मापयन्त्रों की अभिलेखित मांग को समूह गृह–निर्माण समिति के मापयन्त्र में 15 मिनट के समय–खण्ड के तत्संबंधी अभिलेखित की गई मांग में से घटा दिया जाएगा। ऐसे में, समूह गृह–निर्माण समिति की बिलिंग के प्रयोजन हेतु उच्चतम मांग समूह गृह–निर्माण समिति के मापयंत्र में 15 मिनट के समस्त समय–खण्डों में अभिलेखित मांग तथा ऐसे समस्त

उपभोक्ताओं की मांग के यथोचित अन्तर द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य होगी।

4. मूल संहिता के परिशिष्ट–5 में संशोधन :

4.1 **मूल संहिता के साथ संलग्न परिशिष्ट–5 के खण्ड 13 के उप–खण्ड (द) में निम्नलिखित संशोधन किया जाए, अर्थात् :**

''परिशिष्ट–5 के खण्ड 13 के उप–खण्ड(द) में अंकित शब्द तथा संख्या ''विद्युत प्रदाय संहिता 2013, जैसा कि वह समय–समय पर लागू हो'' के स्थान पर शब्द तथा संख्या ''समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत प्रदाय संहिता, 2021'' स्थापित किये जाएं।

4.2 मूल संहिता के साथ संलग्न परिशिष्ट–5 के खण्ड 39 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए, अर्थात् :

परिशिष्ट 5 के खण्ड 39 में अंकित शब्दों, प्रतीक चिन्हों तथा संख्याओं ''केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा संबंधी उपाय) विनियम 2010'' के स्थान पर शब्द, प्रतीक चिन्ह तथा संख्या ''समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023'' स्थापित किये जाएं।

टीप : **इस मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (चतुर्थ संशोधन) के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।**

आयोग के आदेशानुसार
(उमाकान्ता पाण्डा)
सचिव
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग